

मध्य प्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 6744/2016/तेरह/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/08/16

प्रबंध संचालक,
म. प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

विषय:—जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में।

संदर्भ:—विभाग का पत्र क्रमांक 6110/2014/13 दिनांक 12.9.2014 एवं पत्र क्रमांक 10257 दिनांक 28.10.2015।

जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में विभाग द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से दिये गये निर्देशों को अधिकमित (Supersede) करते हुए निर्देशानुसार निम्न निर्देश दिये जाते हैं :—

“ जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों से जुड़े 75 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 40 प्रतिशत जमा होने के उपरांत इन जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को बदला जाए। इन दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त की पूर्ति होने पर उक्त ट्रांसफार्मर को तत्काल बदला जाए।”

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मैदानी अधिकारियों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

(माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

(एम.धारीवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

क्रमांक 6745/2016/तेरह/
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 12/08/16

प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि. जबलपुर।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

12/8/16